न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 176/2011

सायल :- बनाम गै०सा० :-

1. रूपी बेवा बद्रीलाल के कायम मुकाम
   - 1/1 जनकारी देवी पुत्री बद्रीलाल पत्नि मंगादेवी
   - 1/2 विमलादेवी पुत्री बद्रीलाल पत्नि जगदीश जाति साद सतनामी निवासीगण खवासपुरा तह० भोपालगढ़, जोधपुर
   - 1/3 कंचनदेवी पुत्री बद्रीलाल पत्नि रमेशचन्द्र
2. जोरावर पुत्र बद्रीलाल
3. भींयाराम पुत्र बद्रीलाल
4. पुखराज पुत्र बद्रीलाल
5. परमेश्वर पुत्र केसुदास
6. तेजाराम पुत्र केसुदास
7. नाथूराम पुत्र सुमेर जाति-साद सतनामी, निवासी-लितरिया तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

1. जगदीश पुत्र देशु
2. डुंगर पुत्र देशु के कायम मुकाम
   - 2/1 सुभाष पुत्र डुंगर
   - 2/2 गीतादेवी बेवा डुंगर
   - 2/3 शिशुडी पुत्री डुंगर पत्नि रामपाल
   - 2/4 शोभा पुत्री डुंगर पत्नि मुन्नाराम जाति साद सतनामी निवासीगण लितरिया
   - 2/5सरोदा पुत्री डुंगर पत्नि बींजाराम साद सतनामी निवासी माडपुरीया पोस्ट खवासपुरा, तहसील भोपालगढ़ जोधपूर
3. हसिया पुत्र देशु
4. अर्जन पुत्र देशु
5. रूपचंद पुत्र मोरू जाति साद सतनामी निवासीगण लितरिया
6. अनोपसिंह पुत्र जयदान जाति चारण निवासी खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली
7. उपपंजीयन अधिकारी तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 30/09/2011

उपस्थित:. 1. श्री शाकीर दुर्रो , अधिवक्ता, सायल।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै०सा०।

-:: निर्णय ::- **दिनॉक: 15/03/2018**

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम लितरिया तहसील जैतारण की सीमा में ख. नं. 237 रकबा- 25 बीघा 5 बिस्वा वाके है। कृषि भूमिका राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज वक्त सैटलमेन्ट के महाराजा हिम्मतसिंह के खुद काश्त दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2030 की साथ पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि ख. नं. 237 रकबा-25 बीघा 5 बिस्वा की खसरा गिरदावरी संवत 2013 के कॉलम नं. 16 में महाराजा हिम्मतसिंह बदस्तुर कब्जा केश वल्दसुल्तान दर्ज है एवं संवत 2014 की गिरदावरी के कॉलम सं. 24 बदस्तुर दर्ज है इसी अनुसार संवत 2015 की खसरा गिरदावरी के कॉलम सं. 32 में भी बदस्तुर कब्जा केसा वल्द सुल्तान, मौरू वल्द चाहिता वगैरा बदस्तुर ख.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

238 दर्ज है एवं इसी अनुसार संवत 2016 की खसरा गिरदावरी के कॉलम नं. 40 में बदस्तुर बद्री वगैरा ख.नं. 238 दर्ज है। एवं खसरा गिरदावरी के संवत 2017 के कॉलम नं. 16 मे भी बद्री वगैरा ख.नं. 238 दर्ज है इसी अनुसार संवत 2019 की खसरा गिरदावरी के कॉलम सं. 32 में बद्री वगैरा बदस्तुर ख. नं. 238 के कब्जा काश्त दर्ज है।इस प्रकार ख. नं. 237 रकबा-25 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल पर कब्जा काश्त लगातार आज तक ख.नं. 238 रामसागरबेरा के तत्कालीन खातेदार बद्री पुत्र बंशी 1/5, हमीर पुत्र लच्छा 1/5, रामचन्द्र मोरया पिसरान चाहतालाल 1/5 सुमेर, केशू देशू पिसरान सुल्तान 1/5 व भूरिया व चन्दरिया पिसरान ताराचन्द 1/5 हिस्सा कौम साद सतनामी खातेदार दर्ज है इन्हीं खातेदारान का उक्त हिस्सेनुसार ख. नं. 237 में भी सभी का 1/5, 1/5, हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2020 की साथ पेश है। वाद सैटलमेन्ट उक्त ख. नं. 237 के रकबा-25 बीघा 5 बि. कृषि भूमि पर रकबा काश्त ख. नं. 238 के तत्कालीन खातेदार एवं उनके वंशज का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है और राज. काश्त. अधिनियम 15.10.19955 को लागु हुआ। उस दिन से आज तक कब्जाकाश्त उक्त कृषि भूमि पर लगातार तत्कालीन खातेदार ख.नं. 238 एवं उनके वंशज का होने से उक्त कृषि भूमि के बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ धारा-15 राज. काश्त. अधि. के तहत खातेदार काश्तर हो गये है। कृषि भूमि ख. नं. 237 राजस्व रेकर्डजमा बंदी में महाराजा हिम्मतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह कौम- राजपुत साकिन- जोधपुर बतौर खातेदार दर्ज किया गया किन्तु मौका पर कब्जा काश्त उपर बताये अनुसार सभी ख. नं. 238 के तत्कालीन खातेदार एवं उनके वंशज का निरन्तर आज तक है और समय-समय पर उक्त कृषि भूमि का लगातार लगान (बिगोडी) भी सभी हिस्सेदार सामिल ही राज्य सरकार को अदा करते रहे है। वादीगण/सायलान के पास जो लगान की रसीद दस्तयाब है उसकी फोटो प्रति साथ पेश है। इस प्रकार सायलान कब्जे काश्त के साथ-साथ उक्त कृषि भूमि की बिगोडी लगान भी राज्य सरकार को समय-समय पर अदा करते रहे है। उक्त कृषि भूमि मे वर्तमान मे सायलान सं. 1 से 4 का 1/5 हिस्सा एवं सायलान सं. 5,6,7 का व गैर सायल सं. 1 से 4 के साथ संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा है और वाद के प्रतिवादी सं. 10 से 14 का 1/5 हिस्सा है एवं वाद के प्रतिवादी सं. 15,16,17 व गैरसायल सं. 5 रूपचंद पुत्र मोरू का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा है एवं प्रतिवादी सं. 6 से 9 का 1/5 हिस्सा है। इसी अनुसार मौके पर काबीज है व काश्त करते है।गैर सायल सं. 1 से4 के पिता व गैरसायल सं. 5 पिता ने पटवारी निम्बोल द्वारा दिनांक-14.9.65 को तत्कालीन ग्राम पंचायत निम्बोल से एक नामान्तकरण पारित हेतू पेश किया इस म्युटेशन की पुस्त पर सरपंच का स्पष्टनोट है कि आज नामान्तकरण पटवारी ने पेश किया जो अगाडी पास हो चुका है। मगर दुरूस्ती नहीं हुई है। आज वापिस लिखा जाता है कि इसके आधार पर मंजूरी दी जाती है कि अब जल्द अमल दरामद कर दिया जावे यह आदेश सरपंच सवाईसिंह का 31.7. 1966 का है। यह म्युटेशन केवल दो नाम से भरा गया है और मौके की कोई जांच नहीं की गई है कि मौके पर किस-किस का काब्जा काश्त है जबकि ख. नं. 238 के जो तत्कालीन खातेदार है उनका कब्जाकाश्त था इसलिये कब्जे की जांच के अभाव मे गैरसायल सं. 1 से 5 के नाम किया गया म्युटेशन अवैध व खिलाफ कानून तथा शून्य है अतः यह म्युटेशन के आधार से जमाबंदी सं. 2022से 2025 मे गैरसायल सं. 1 से 4 के पिता व गैरसायल सं. 5 के पिता के नाम किया गया

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी का इन्द्राज भी कानून अवैध व शून्य है इसलिये जरिये घोषणा के वाद के किया गया यह इन्द्राज हटाया जावे।वर्तमान जमाबंदी में उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण/गैरसायलान के नाम पर इन्द्राज है और गैरसायलान उक्त कृषि भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बैचने पर आमादा है और इस तरह की ऐलानिया धमकी दिनांक 25.9.2011 को गांव मे दी है अगर गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान के हक पर विपरित प्रभवा पड़ेगा व विविध पेचिदगिया व मुकदमेबाजी बढ़ेगी एवं मोके पर ख. नं. 237 रकबा-25 बीघा 5 बिस्वा आराजी सभी पक्षकारान की सामलाती है और कोई भी बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है अगर गैरसायल ने बिना बंटवाडा के उक्त आराजी में से कोई हिस्सा किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर दिया तो उस बैचान से कतई निश्चित नहीं किया जा सकता कि कौनसे स्थान पर बैचानकर्ता द्वारा खरीददार को बेची गई एवं खरीददार भी ऐसे बैचान के आधार से अच्छे से अच्छा हिस्सा अपने द्वारा खरीदना बताकर कब्जा करने पर आमादा होगा। इसलिए इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों में सायलान बिना बंटवाडा सामलाती कृषि भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाता की दादरसी भी गैरसायलान के खिलाफ क्लेम की है व स्थायी निषेधाता का भी वाद पेश किया है। ग्राम लितरिया की सीमा में सभी कृषि भूमि के तल में चाईना क्ले व खडडी उपलब्ध है और गैरसायलान भी उनके नाम खातेदारी होने से सायलान के हक हकुको व अधिकारों को हमेशा के लिये समाप्त करने के उद्देश्य से इस कृषि भूमि को भू व खान विभाग से चाईना क्लेक व खड्डी के खनन कार्य हेतू कृषि भूमि को खनन कार्य हेतू कृषि भूमि को खनन कार्यहेतू लीज आवंटन कराना चाहे है जबकि उक्त कृषि भूमि से सायलान का भी हक हिस्सा व अधिकार है एवं उक्त कृषि भूमि आज तक सामलाती है जिसका कोई बंटवाडा नहीं हुआ है नहीं गैरसायलान ने सायलान कोई सहमति भी नहीं ली है। और बाले बाले खनन कार्य की लीज प्राप्त करना चाहते है। इसलिए गैरसायलान के इसकृत्य के खिलाफ सायलान अस्थायी निषेधाता प्राप्त करने के अधिकारी है।सायलान ने घोषणा की दादरसी के साथ साथ कृषि भूमि का तकासमा भी बाई मिटसएण्ड बाउण्डस के दादरसी चाहते है इसलिए उक्त कृषि भूमि का मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में भी सायलान व गैरसायलान के मध्य उनके हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के तकासमा किया जावे उक्त कृषि भूमि कालगान एवं सभी पक्षकार के अलग-अलग खाते खाते जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज किया जावें। खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2020 के अनुसार कब्जा काश्त सायलान का दस्तावेजी साक्ष्य से बहुत ही मजबुत प्रथम दृष्टियां मामला है, गैरसालान नं. 1 से 4 व उनके पिता व गैरसायल सं. 5 व उनके पिता के नाम जो म्युटेशन किया है। उसके संबंध में मौके के कब्जे काश्त के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है इसलिए जांच के अभाव में उक्त म्युटेशन अवैध व शून्य है ओर मौके पर कब्जा काश्त सायलान का है इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है अस्थाई निषेधाज्ञा दावा के निर्णय तक गैर सायलान के खिलाफ जारी नही करने की सुरत मे सायलान को अपूर्णिय गैर सायलान के खिलाफ जारी नहीं करने की सुरत में सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी क्योंकि गैरसायलान बिना कोई बंटवाडा के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि को किसी अजनबी को बैचान करने पर आमादा है अगर ऐसा कर दिया तो सायलान को ही अपूर्णीय क्षति होगी व विविध पेचिदगिया व मुकदमेबाजी बढेगी इसलिये दावा के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायलान खिलाफ गैरसायलान जारी की जावे। गैर सायलान सं. 1 से 5 उक्त कृषि या इसके

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

Scanned by CamScanner

किसी भाग के संबंध में कोई रहन बेचान, बक्शीस, वसीयत, या अन्य किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण संबंधी आवेदन या कार्यवाही हेतू अप्रार्थी/गैरसायल सं. 6 उपपंजियन अधिकारी के समक्ष पेश करे तो गैर सायल सं. 6 उक्त आवेदन या कार्यवाही का पंजियन नही करें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद पत्र के निर्णयक पाबन्द किया जावें।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को जरिए नोटिसेज तलब किये गये। गैर सायलान की ओर से वकालात नामा पेश हुआ। जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। खसरा नम्बर 237 रकबा 25-05 बीघा की भूमि पर सायलान के पूर्वज बद्रीलाल व अन्य का कभी भी कोई कब्जा व हक व अधिकार नही रहा था। न ही उक्त भूमि सायलान के पूर्वजों के नाम कभी राजस्व रेकर्ड में दर्ज ही हुई थी। खसरा नम्बर 237 के संबंध में खसरा गिरदावरी हक से संबंधित दस्तावेजी सबूत भी नहीं हैं। उक्त खसरा नम्बर 237 की सम्पूर्ण जमीन महाराजधीराज श्री हिम्मतसिंह पुत्र श्री हीजहाईनेस महाराजा श्री उम्मेदसिंह साहब जोधपुर की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन थी। उन्होने उक्त जमीन जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के गैर सायलान के पिता देसूराम पुत्र सुल्तानदास जी एवं मोरूदास पुत्र चेताराम उर्फ चहेतालाल साद सतनामी निवासी लितरिया तहसील जैतारण वालों को प्रतिफल की राशि लेकर के बेचान कर दी थी। व मौके पर कब्जा भी क्रेता देसूराम व मोरूराम जी को सौप दिया था। साथ ही इस जमीन का पट्टा नम्बर 06 रजिस्टर्ड नम्बर234 दिनांक 17.12.1954 को भी क्रेता देसूराम वगैरा को सौंप दिया था। बेचाननामा पोषसूद पांचम सम्वत् 2012 को लिखा जाकर रूबरू साक्षीगण के तहरीर व तकमील किया गया था। तत्पश्चात महाराज श्री हिम्मतसिंह जी के मुख्तियारधारक ठाकर श्री हिम्मतसिंह पुत्र विजयसिंह जी सा उस्तरा तहसील बिलाड़ा वालों के जरिये दिनांक 25.1.1956 को सब रजिस्ट्रार जैतारण के यहां पर दस्तावेज पंजीबद्ध करवाया गया था। नकल पंजीबद्ध बेचाननामे की प्रति इस जबाब के साथ पेश हैं माफिक इसी बेचाननामा के अनुसार बिक्रित जमीन क्रेता श्री देसूराम व मोरूलाल जी के नाम के स्वर्गवास होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के माफिक उक्त भूमि गैर सायलान संख्या 01 से 05 राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई हैं। खसरा नम्बर 238 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सों के माफिक ही खातेदारों का मौके पर कब्जा काश्त व हक व अधिकार हैं लेकिन इस पद में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा की भूमि पर सायलान एवं अन्य किसी भी व्यक्ति का कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक व अधिकार नही रहा था। खसरा नम्बर 238 के साथ खसरा नम्बर 237 की भूमि को गलत तरीके से सायलान ने विवादित होना बताया है। खसरा नम्बर 237 की जमीन पर बद्री पुत्र बंशीजी, हमीर पुत्र लच्छा, रामचन्द्र पुत्र चेहतालालजी, सुमेर केसु पुत्र सुल्तानजी, भूरिया व चन्द्रीया पुत्र ताराचन्दजी का इस जमीन पर कभी भी कब्जा व हक व अधिकार नही रहा था सम्पूर्ण जमीन मे से 1/2 हिस्सा देसूदास जी का था। व शेष 1/2 हिस्सा मोरूलाल जी का था। उक्त दोनो ही व्यक्तियों ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जमीन खरीद की थी। व मौके पर कब्जा प्राप्त किया व इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में नामान्तरणकरण की कार्यवाही हुई थी। खसरा नम्बर 237 रकबा 25-05 बीघा की जमीन पर वक्त सेटलमेंट के पूर्व सेटलमेंट के समय व इसके बाद महाराजधीराज श्री हिम्मतसिंह जी जोधपुर का कब्जा काश्त व हक व अधिकार था। उन्होने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जमीन का बेचान क्रेता श्री देसूदास, मोरूलाल जी को किया

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

था। व माफिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख के क्रेताओं के नाम नामान्तरणकरण की कार्यवाही की जाकर राजस्व रेकर्ड में क्रेताओं का नाम दर्ज किया गया व मौके पर क्रेताओं ने कब्जा भी प्राप्त किया था। दिनांक 15.10.1955 को या उसके पश्चात् सायलान एवं उनके पूर्वजों का कभी भी कोई कब्जा व हक व अधिकार नही रहा था इसलिए धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वक्त सेटलमेंट के समय उक्त जमीन महाराज श्री हिम्मतसिंह जी के नाम दर्ज हुई थी लेकिन सायलान का यह कथन कि इस जमीन पर सायलान ने एवं उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त व हक व अधिकार था। सभी कथन असत्य होने से अस्वीकार हैं खसरा नम्बर 238 की भूमि का इस खसरा नम्बर 237 की भूमि से कोई संबंध नही है। वादपत्र/प्रार्थना पत्र में पेचिदगिया पैदा करने की नियत से सायलान ने खसरा नम्बर 238 की भूमि का झूठा हवाला दिया है। वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक सायलान एवं उनके पूर्वज खसरा नम्बर 237 की भूमि से आउट ऑफ पजेशन रहे है गैर सायलान के पिता देसूदास जी व मोरूलाल जी ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जमीन खरीद कर मौके पर अपना कब्जा किया था। तथा राजस्व शुल्क भी गैर सायलान एवं उनके पूर्वजों द्वारा ही जमा करवाया गया हैं। खसरा नम्बर 238 की लगान रसीद से इस प्रकरण का कोई संबंध नही हैं। सायलान एवं उनके पूर्वजों का इस जमीन पर कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक व अधिकार नहीं रहा हैं। गैर सायलान संख्या 01 से 04 इस खसरा नम्बर 237 के 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार हैं एवं शेष 1/2 हिस्सा मोरूलाल जी के पुत्र रूपचन्द जी का था। जिन्होंने समय समय पर अपनी घरेलू आवश्यकतावश प्रतिफल की राशि लेकर के अपने 1/2 हिस्से की जमीन का बेचान क्रेताओं के नाम कर दिया। उक्त सभी बेचान इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पेश होने से पूर्व ही किये जा चूके हैं। जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी आगे अतिरिक्त कथन में दी जायेगी। इस पद में वर्णित अनुसार वादपत्र में वर्णित प्रतिवादी गण संख्या 06 से 09 प्रतिवादीगण संख्या 10 से 14 व 15 से 17 का भी इस खसरा नम्बर 237 की भूमि से कोई संबंध नही रहा हैं। खसरा नम्बर 237 मौजा लितरिया की जमीन का बेचान महाराजधीराज श्री हिम्मतसिंह जी ने प्रतिफल की राशि लेकर के जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के देसूदास पुत्र सूल्तान जी को 1/2 हिस्सा व मोरूलाल पुत्र चेहतालाल जी साद सतनामी निवासी लितरिया वालों को पंजीबद्ध विक्रय विलेख के बेचान किया था। माफिक बेचाननामा के अनुसार ही हल्का पटवारी निम्बोल द्वारा नामान्तरणकरण की कार्यवाही की गई थी। तथा राजस्व रेकर्ड में खातेदार के रूप में देसूदास जी व मोरूलाल जी का नाम दर्ज किया गया था तत्पश्चात इनके फौत होने पर उक्त जमीन गैर सायलान संख्या 01 से 05 के नाम दर्ज हुई है। उक्त नामान्तरणकरण की कार्यवाही हल्का पटवारी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई अनियमितता नही की गई थी। सरपंच द्वारा की गई रिपोर्ट की इस प्रकरण में कोई ओचित्यता नहीं है कारण की नामान्तरणकरण विधिक प्रक्रिया अनुसार स्वीकार करवाया गया हैं। खसरा नम्बर 238 की भूमि का इस प्रकरण से कोई संबंध नही हैं। न हि इन दिनों खसरा नम्बर 238 की भूमि के कब्जे काश्त बाबत जांच की जाने की कोई आवश्यकता थी। गैर सायलान संख्या 01 से 05 के पिता/पूर्वजों के नाम राजस्व रेकर्ड में किये गये नाम की प्रविष्टि पूर्ण रूप से सही हैं। जिन्हें हटाये जाने की व नामान्तरणकरण को रद्द घोषित किये जाने की कतई कोई आवश्यकता नही है। खसरा संख्या 237 मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा की भूमि गैर सायलान

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

संख्या 01 से 05 के नाम सही दर्ज हैं। उक्त रेकर्डेड खातेदारों को अपनी जायज जरूरत हेतु अपनी खातेदारी जमीन बेचने का पूरा हक व अधिकार हैं। जिसमें सायलान को हस्तक्षेप व दखलंदाजी करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। गैर सायलान संख्या 05 रूपचंद ने इस खसरा नम्बर 237 रकबा 25-05 बीघा में से अपने 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही होने से पूर्व ही बेचान कर दिया हैं। अंतिम बेचान खातेदार श्री रूपचंद द्वारा क्रेता श्री अनोपसिंह पुत्र जयदान जी चारण निवासी खराड़ी वालों के पक्ष दिनांक 21.07.2011 को किया जाकर बेचाननामा पंजीबद्ध करवाया जा चूका हैं। दिनांक 25.09.2011 को गैर सायलान संख्या 05 के पास बेचान योग्य कोई जमीन शेष ही नही थी। तो उसके द्वारा सायलान को इस बाबत ऐलानिया धमकी देने के कथन पूर्णतया मिथ्या है सायलान ने यह प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से झूठे कथन किया हैं। जब सायलान का कोई मालिकाना अधिकार ही इस भूमि पर नहीं है तो वे बंटवारा करवाने के भी कतई अधिकारी नहीं हैं। रेकर्डेड खातेदार/गैर सायलान को अपनी जायज जरूरत हेतु उक्त भूमि बेचान करने का पूरा हक व अधिकार प्राप्त है। इसी माफिक बेचान भी हुये है सायलान का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गैर सायलान के विरूद्व काबिल खारिज के हैं जो खारिज किया जावे। मौजा लितरिया की गांवाई सीमा में चाइना क्ले भूतल के अन्दर होने के कथनों को सायलान स्वयं साबित करे। परन्तु खसरा नम्बर 237 रकबा 25-05 बीघा मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा तहसील जैतारण की भूमि से सायलान का कोई संबंध नहीं हैं। न ही सायलान का कोई हक व अधिकार हैं। रेकर्डेड खातेदार इस भूमि से चायना क्ले खनन हेतु कोई कार्यवाही करते है तो सायलान को इसमें बाधा व अड़चन पैदा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं। बंटवारा करवाये जाने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। खनन कार्य हेतु लीज भी विधिक प्रक्रिया अनुसार ली जा सकती हैं। जिसे रूकाने का सायलान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जब सायलान मूल वादपत्र में घोषणा का अनुतोष ही प्राप्त नही कर सकते है तो उन्हें बंटवाड़ा का अनुतोष कतई नहीं दिया जा सकता है। पद संख्या 10 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य होने से अस्वीकार हैं खसरा गिरदावरी 2013 से 2020 जो कि खसरा नम्बर 238 की भूमि से संबंधित हैं का खसरा नम्बर 237 मौजा लितरिया की भूमि से कोई संबंध नहीं हैं। उक्त भूमि गैर सायलान के पिता देसूदास जी व मोरूलाल जी द्वारा जरिये पंजीबद्व विक्रय विलेख के खरीद की हुई हैं। व मौके पर भी गैरसायलान का ही कब्जा व हक व अधिकार हैं इसलिए प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में कतई नही होकर के गैरसायलान के पक्ष में प्रमाणित है। नामान्तरणकरण की कार्यवाही क्रेताओं के नाम विधिक प्रक्रिया अनुसार की गई है। सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में कतई नहीं हैं कारण कि गैरसायलान को उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने से व जरिये रहन बेचान के अन्य हस्तान्तरण करने से यदि किसी प्रकार से रोका जाता हैं तो अपूर्णीय क्षति गैरसायलान को ही होगी। सायलान मूल वादपत्र में बंटवाड़ा का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं मौके पर भी इस जमीन के कब्जे व काश्त को लेकर के कोई वाद विवाद नहीं हैं। गैर सायलान संख्या 05 ने इस वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की कार्यवाही होने से पूर्व ही अपनी जमीन का बेचान क्रेताओं के पक्ष में कर दिया हैं। सभी बेचाननामें पंजीबद्व हैं। अब सायलान गैरसायलान के विरूद्व अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। सायलान का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय की सुनी गई। बहस समायत की गई। पत्रावली मय दस्तावेतात एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली एवं निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णयों का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। चूंकि मूल वाद के गुणावगुन निर्णय होने के उपरान्त ही सायलान एवं गै.सा. के हक अधिकार उक्त विवादित आराजी में तय होंगे। तब तक विवादित आराजी से सम्बद्ध न्यायालय हाजा द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 30.09.2011 को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाना उचित समझतें हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा– ग्राम लितरिया पटवार हल्का काणेचा तहसील जैतारण की सीमा में स्थित ख. नं. 237 रकबा– 25 बीघा 5 बिस्वा व ख.नं 238 रकबा 8–18 बिस्वा की भूमि में न्यायालय हाजा के अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 30.09.2011 को पुख्ता किया जाता हैं। उक्त विवादित आराजी की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा उक्त विववादित भूमि का बेचान, रहन, अन्य हस्तान्तरण आदि नही करने हेतु मूल वाद के निर्णय तक 'गै0सा0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/03/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner